



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 21 अक्टूबर, 2020  
आश्विन 29, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा अनुभाग-1

संख्या 1943/सत्तर-1-2020-16(74)-2018 टी0सी0  
लखनऊ, 21 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-294

उत्तर प्रदेश विष्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन और संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974) द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विष्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (1 क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश राज्य विष्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2019) द्वारा स्थापित किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (6) के खण्ड (ग) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, चौधरी चरण सिंह विष्वविद्यालय, मेरठ की पूल निधि से रु० 100 करोड़ (सौ करोड़ रुपये मात्र) की धनराशि, सहारनपुर राज्य विष्वविद्यालय, सहारनपुर के भवन निर्माण हेतु सहारनपुर राज्य विष्वविद्यालय, सहारनपुर को आवंटित करती है।

चौधरी चरण सिंह विष्वविद्यालय, मेरठ से रु० 100 करोड़ (सौ करोड़ रुपये मात्र) की आवंटित धनराशि सहारनपुर राज्य विष्वविद्यालय, सहारनपुर के नाम से खोले गये एक पृथक खाता (एस्करो खाता) में जमा की जायेगी और इस धनराशि का उपयोग, केवल सहारनपुर राज्य विष्वविद्यालय, सहारनपुर के भवन निर्माण के लिये किया जायेगा।

आज्ञा से,  
मोनिका एस0 गर्ग,  
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1943/LXX-1-2020-16(74)-2018 T.C., Dated October 21, 2020 :

No. 1943/LXX-1-2020-16(74)-2018 T.C.

*Dated Lucknow, October 21, 2020*

IN exercise of the powers under sub-section (1 A) of section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act no. 10 of 1973) as amended and re-enacted by the Uttar Pradesh Universities (Re-enactment and Amendment) Act, 1974 (U.P. Act no. 29 of 1974), Saharanpur State University, Saharanpur was established by the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2019 (U.P. Act no. 6 of 2019).

IN exercise of the powers under clause (c) of sub section (6) of section 4 of the said Act, the Governor is pleased to allocate rupees 100 crore (rupees one hundred crore only) from the pool fund of Chaudhary Charan Singh University, Meerut to Saharanpur State University, Saharanpur for construction of buildings of the Saharanpur State University, Saharanpur.

The allocated amount of rupees 100 crore (rupees one hundred crore only) from Chaudhary Charan Singh University, Meerut shall be deposited in a separate account (Escrow Account) opened in the name of Saharanpur State University, Saharanpur and this amount shall be utilized only for construction of the buildings of Saharanpur State University, Saharanpur.

By order,  
MONIKA S. GARG,  
*Apar Mukhya Sachiv.*